

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

कार्यालय—मठसं-01, लेन नं०-08, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड, देहरादून—248121

फोन सं० 0135-2978030

uttarakhandparamedicalcouncil3@gmail.com

दिनांक २५ अप्रैल, 2025

पंत्रांक—२-२०/उ०परा०च००८०/१२४/२०२२/१७७७-

सेवा मे

प्राचार्य/प्रधानाचार्य,

श्रीमती मंजीरा देवी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज (श्री मंजीरा देवी शिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण समिति),

रुक्मणीनगर, हिटाणु धनोरी उत्तरकाशी।

विषय— उत्तराखण्ड राज्य मे परा-चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों मे परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 2009 की धारा 20 एवं उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद विनियम, 2014 के विनियम १७ भाग—ग के उपविनियम ०६ पैरा ०८ (आठ) के कम मे उत्तराखण्ड राज्य मे संचालित निजी/सरकारी पैरा-मेडिकल विश्वविद्यालय/संस्थान मे परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद कार्यालय के पंत्रांक—२-२०/उ०परा०च००८०/१३०/२०२२/१९५०५ दिनांक १२ दिसम्बर, 2024 के कम मे दिनांक १३.१२.२०२४ को संस्थान का निरीक्षण दल द्वारा स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

२— चिकित्सा स्थान्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, के शासनादेश संख्या—११९१८०/२०२३ दिनांक—०३ मई, २०२३ व शासनादेश संख्या—४५०/XXVIII—६/७३७९१/२०२४ दिनांक—२८ नवम्बर, २०२४ द्वारा संस्थान को निम्नलिखित परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालनार्थ अनुमति/अनुमति प्रदान की गई है:-

क्र०	संस्थान का नाम	स्वीकृत पाठ्यक्रम	पूर्व से स्वीकृत सीटों की संख्या	शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु सीट वृद्धि	कुल सीटों की संख्या
०१	श्रीमती मंजीरा देवी नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज (श्री मंजीरा देवी शिक्षण संस्थान एवं प्रशिक्षण समिति), रुक्मणीनगर, हिटाणु धनोरी उत्तरकाशी।	बी०एम०एल०टी०	30	-	30
		बी०पी०टी० (नवीन पाठ्यक्रम)	-	30	30
		बी०एम०आर०आई०टी० (नवीन पाठ्यक्रम)	-	30	30
		बी०एस०सी०आटो (नवीन पाठ्यक्रम)	-	30	30

३— उपरोक्तानुसार संस्थान द्वारा उक्त ०४ पाठ्यक्रमों के वर्ष 2024-25 मे संचालनार्थ मान्यता हेतु परिषद कार्यालय मे किये गये आदेदन के कम मे इस हेतु निरीक्षण दल द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त दस्तावेज, शपथ पत्र एवं दी गई संस्तुति के आधार पर संस्थान को शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु उक्त परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है।

४— आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर भविष्य मे कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान मे आता है तो संस्थान का स्थलीय औचक निरीक्षण किया जाएगा। उक्त दस्तावेजों के अनुसार व्यवस्थाये पूर्ण नहीं पायी जाती है तो इस संघर्ष मे नियमानुसार यथांचित कार्यदाही की जाएगी।

भवदीप्र

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद।